रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 17, 1974/पौष 27, 1895
No. 10] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 17, 1974/PUASA 27, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

ORDER

New Delhi, the 17th January, 1974

THE NORTH-EASTERN AREAS (REORGANISATION) (MIZORAM) ADAPTATION OF LAWS ON STATE AND CONCURRENT SUBJECTS ORDER, 1974

G.S.R. 12(E).—WHEREAS by section 79 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), the Central Government is empowered, by Order, to make such adaptations and modifications in any law relating to a matter in List II or List III in the Seventh Schedule to the Constitution, as may be necessary or expedient for the purpose of facilitating the application of such law in relation to the Union territory of Mizoram;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the said section 79, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. (*1*) This Order may be called the North-Eastern Areas (Reorganisation) (Mizoram) Adaptation of Laws on State and Concurrent Subjects Order, 1974.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 21st day of January, 1972.

2. (*1*) In this Order,—

(*a*) "appointed day" means the 21st day of January, 1972;

(*b*) "existing law" means any State Act or Provincial Act or any Regulation made under the Government of India Act, 1870, or under the Government of India Act, 1935, or any Regulation made by the Governor of Assam under clause (*b*) of sub-paragraph (*1*) of paragraph 19 of the Sixth Schedule to the Constitution and in force immediately before the appointed day in the whole or any part of the territory now comprised in the Union territory of Mizoram and includes any rule, order, bye-law, scheme, notification or other instrument made under such State Act or Provincial Act or Regulation but does not include any law relating to a matter enumerated in the Union List;

(*c*) "law" has the same meaning as in clause (*g*) of section 2 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971.

(*2*) The General Clauses Act, 1897, applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. Whenever an expression mentioned in column 1 of the Table hereunder printed occurs (otherwise than in a title or preamble or in a citation or description of an enactment) in an existing law then, in the application of that law to the Union territory of Mizoram, or as the case may be, to any part thereof, unless the context otherwise requires, there shall be substituted therefor the expression set opposite to it in column 2 of the said Table, and there shall also be made in any sentence in which that expression occurs, such consequential amendments as the rules of grammar may require.

TABLE

1	2
Assam State of Assam	Union territory of Mizoram
State Government State Government of Assam Government of Assam Government Governor of Assam Governor	Central Government
High Court High Court of Assam Assam High Court	Gauhati High Court (the High Court of Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur and Tripura)
Official Gazette	Mizoram Gazette
State (except where it occurs in the expression "State Government" or "State of Assam").	Union territory of Mizoram

4. The provisions of this Order which adapt or modify any law so as to alter the manner in which, the authority by which, or the law under, or in accordance with, which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, licence, permission, award, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation, duly made or issued, or anything duly done, before the appointed day; and any such notification, order, licence, permission, award, commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or thing may be revoked, varied or undone in like manner, to the like extent and in the like circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and under, and in accordance with, the provisions then applicable to such a case.

[No F.19(1)/72-L.I.Vol. III]

K. K. SUNDARAM, *Secy.*

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1974

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (मिजोरम) राज्य और समवर्ती विषयों से सम्बंधित विधियों का अनुकूलन आदेश, 1974

सा० का० नि० 12(अ) —यत पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 79 द्वारा, केन्द्रीय सरकार, संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 में के किसी विषय से सम्बंधित किसी विधि में ऐसे अनुकूलन और उपान्तर करने के लिए, आदेश द्वारा, समर्थ की गई है, जो मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में ऐसी विधि का लागू किया जाना सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हों;

अत., अब, उक्त धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (मिजोरम) राज्य और समवर्ती विषयों से सम्बंधित विधियों का अनुकूलन आदेश, 1974 है ।

(2) यह आदेश 21 जनवरी, 1972 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. (1) इस आदेश में—

(क) "नियत दिन" से 21 जनवरी, 1972 अभिप्रेत है;

(ख) "विद्यमान विधि" से कोई ऐसा राज्य अधिनियम या प्रान्तीय अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, 1870 के अधीन या भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन बनाया गया कोई ऐसा विनियम या संविधान की षष्ठ अनुसूची के पैरा

19 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ख) के अधीन असम के राज्यपाल द्वारा बनाया गया कोई ऐसा विनियम अभिप्रेत है जो मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र में अब समाविष्ट समस्त राज्य क्षेत्रों में या उनके किसी भाग में नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो और इसके अन्तर्गत ऐसे राज्य अधिनियम या प्रान्तीय अधिनियम या विनियम के अधीन बनाया गया कोई नियम, आदेश, उपविधि, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखत भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत संघ-सूची में प्रगणित किसी विषय से सम्बन्धित कोई विधि नहीं है ;

(ग) "विधि" का वही अर्थ होगा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खण्ड (छ) में उसका है ।

(2) साधारण खण्ड अधिनियम 1897, इस आदेश के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होगा जैसे वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. जब कभी इसके नीचे मुद्रित सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित पद (किसी अधिनियमिति के शीर्षक या उद्देशिका या प्रोद्धरण या वर्णन के अन्यथा) किसी विद्यमान विधि में आए, तो, यथास्थिति, मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग को उस विधि के लागू होने में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके लिए उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में उसके सामने दिया गया पद प्रतिस्थापित किया जाएगा और किसी ऐसे वाक्य में जिसमें वह पद आए, ऐसे पारिणामिक संशोधन भी किए जाएंगे जो व्याकरण के नियमों से अपेक्षित हों ।

सारणी

1	2
असम असम राज्य	मिजोरम संघ राज्य-क्षेत्र
राज्य सरकार असम राज्य सरकार असम सरकार सरकार असम का राज्यपाल राज्यपाल	केन्द्रीय सरकार
उच्च न्यायालय असम उच्च न्यायालय असम उच्च न्यायालय	गौहाटी उच्च न्यायालय (असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा उच्च न्यायालय)
राजपत्र	मिजोरम राजपत्र
राज्य (सिवाय वहां के जहां वह "राज्य सरकार" या "असम राज्य" पद में आता हो) ।	मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र

4. इस आदेश के ऐसे उपबंध, जो किसी विधि को ऐसे अनुकूलित या उपान्तरित करते हों जिससे उस रीति में जिसमें, वह प्राधिकारी जिसके द्वारा, या वह विधि जिसके अधीन या अनुसार, कोई शक्तियां प्रयोक्तव्य हों, परिवर्तन हो जाए, नियत दिन के पूर्व सम्यक् रूप से बनाई गई या जारी की गई किसी अधिसूचना, आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, पंचाट, सुपुर्दगी, कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम, या सम्यक् रूप से की गई किसी बात को अविधिमान्य नहीं बनाएंगे; और कोई ऐसी अधिसूचना, आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, पंचाट, सुपुर्दगी, कुर्की, उपविधि, नियम, विनियम या बात उस रीति में, उस विस्तार तक और वैसी ही परिस्थितियों में प्रतिसंहृत की जा सकेगी या उनमें फेरफार किया जा सकेगा या उसे समाप्त किया जा सकेगा मानो वह इस आदेश के प्रारम्भ होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबंधों के अधीन और के अनुसार बनाई गई थी, जारी की गई थी या की गई थी ।

[सं० फा० 19 (1)/72-एल० आई० डी० III]

के० के० सुन्दरम, सचिव ।

CORRIGENDA

G.S.R. 13(E).—In the Order of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. G.S.R. 7(E), dated the 2nd January, 1974, and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), Extraordinary, at pages 29 to 32—

at page 32—

(i) in line 4. *for* "Scheduled Tribes", *read* "Scheduled Tribe";

(ii) in line 14, *for* "18 of 1971", *read* "81 of 1971".

[No 19(1)/72-LI]

K. K. SUNDARAM, Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ERRATUM

In the Ministry of Agriculture (Department of Food) Notification No G S R. 339(E), dated the 26th December, 1973 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(i), dated the 26th December, 1973 at page 1821 *for* "G.S R. 339(E)" *read* "G S R 539(E)"

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974